(c) There will be no retrenchment.

(d) No Commission -was appointed as such to suggest administrative changes in DDA. Sarkaria Commission is to go into the entire set-up of Delhi.

(e) It is proposed to be implemented in about 6 months time. At the Snoment' there is[1] no proposal to open new registration.

(f) The houses under construction shall be completed by the year 1988-*89* and 89-90. The number of registrants awaiting allotment under various housing schemes are as under: —

GENERAL HOUSING SCHEME EPS—1985

MIG	*JUG*	*'JANTA*	*TOTAL*
2695	1396	279	4370

NEW PATTERN SCHEME 1979 (HUDCO)

30486	48645	32916	1/12/047

SELF ■ FINANCING SCHEME

23950	23,950

श्रम मंत्रालय में हिन्दी भाषा का प्रसार

450. **श्री रामचन्द्र विकल :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि "क" और "ख" क्षेत्रों में राजभाषा अधिनियम की पूर्णत: अवहेलना करते हुए अंग्रेजी रोमन लिपि के कम्प्यूटरों, टेलेक्स मशीनों और टेलीप्रिंटरों जैसे दर्जनों आधुनिक यंत्रों के आगमन और अबाधित प्रयोग के फलस्वरूप हिंदी के प्रसार का कार्य वर्षों पीछे पड़ गया है और यहां भी टेलेक्स मशीनें लगायी गई है वहां से एक भी तार हिंदी में नहीं भेजा गया है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि "क" क्षेत्रों में अंग्रेजी के टंकण यंत्रों आदि की तुलना में देवनागरी के टंकण यंत्रों, टंककों और आशुलिपिकों की संख्या नहीं के बराबर है जबकि उनकी संख्या 50:50 होनी चाहिए थी ; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और हिन्दी भाषा के प्रसार के लिए क्या नए कदम उठाए गए हैं ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जी, नहीं । श्रम मंत्रालय में, पिछले एक वर्ष के दौरान, कोई भी अंग्रेजी रोमन कम्प्यूटरों/टेलेक्स मशीनों/टेलीप्रिंटरों की खरीद नहीं की गई थी । इन्हें बहुत पहले खरीदा गया था ।

जहां तक तारों का संबंध है, 31-12-87 को समाप्त हुई तिमाही के दौरान "क" क्षेत्रों में 21% तार हिन्दी में भेजे गए थे ।

(ख) जी, नहीं । श्रम मंत्रालय में, 13 देवनागरी टाइप-राइटर, 19 हिंदी टंकक और 13 हिन्दी आशुलिपिक हैं ।

(ग) रोमन टाइपराइटरों को देव-नागरी में बदलने के लिए कदम उठाए गए हैं । इसके अतिरिक्त, हिन्दी के प्रगामी प्रयोग को बढावा देने के लिए अनुनय प्रयास तेज किए जा रहे हैं ।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राजभाषा अधिनियम के उपबन्धों का कार्यान्वयन

451. **श्री रामचन्द्र विकल :** क्या संसदीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह पता लगाने के लिए कभी कोई प्रयास किया गया है कि राजभाषा अधिनियम के उपबंधों और हिन्दी के प्रगामी प्रयोग के वार्षिक कार्यक्रम का शत प्रतिशत कार्यान्वयन अभी तक क्यों नहीं किया गया है ;

(ख) राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष और सदस्यों तथा हिन्दी

अनुभाग की फाइलों को छोड़कर ऐसी फाइलों की संख्या कितनी है जिनमें राजभाषा में, अर्थात हिंदी में काम किया जा रहा है ; और

(ग) मंत्रालय में हिन्दी, अंग्रेजी और द्विभाषी कम्प्यूटरों, टेलेक्सों, टेलीप्रिंटरों आदि की संख्या कितनी है ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एच०के०एल० भगत) : (क) मंत्रालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति और हिन्दी सलाहकार समिति की प्रत्येक बैठक में पिछली तिमाही के दौरान मंत्रालय में राजभाषा अधिनियम के उपबंधों का पालन, और वार्षिक कार्यक्रम सहित हिन्दी के प्रगामी प्रयोग की समीक्षा की जाती है।

(ख) मंत्रालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति में मंत्रालय के अनुभाग अधिकारी के स्तर तक के सभी अधिकारी सदस्य हैं। हिंदी अनुभाग सहित मंत्रालय में कुल दस अनुभाग है। तथापि हिन्दी अनुभाग को छोड़कर एक अनुभाग में शत प्रतिशत दूसरे अनुभाग में 50% तथा तीसरे अनुभाग में 25% कार्य हिन्दी में किया जा रहा है।

(ग) मंत्रालय में राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एन आई सी) द्वारा लगाए गए 6 अंग्रेजी के कम्प्यूटर हैं। मंत्रालय में कोई टेलेक्स नहीं है। तीन टेलीप्रिंटर हैं जो अंग्रेजी के हैं।

राजभाषा अधिनियम के उपबन्धों का कार्यान्वयन

452. श्री रामचन्द्र विकल : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह पता लगाने के लिए कभी कोई प्रयास किया गया है कि राजभाषा अधिनियम के उपबंधों और हिन्दी के प्रगामी प्रयोग के वार्षिक कार्यक्रम का शत प्रतिशत कार्यान्वयन अभी तक क्यों नहीं किया गया है ;

(ख) राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष और सदस्यों तथा हिन्दी अनुभाग की फाइलों को छोड़कर ऐसी फाइलों की संख्या कितनी है जिनमें राजभाषा में, अर्थात हिन्दी में में काम किया जा रहा है ; और

(ग) मंत्रालय में हिन्दी, अंग्रेजी और द्विभाषी कम्प्यूटरों, टेलेक्सों, टेलीप्रिंटरों आदि की संख्या कितनी है ?

कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुमित्रा ओरांव) : (क) राजभाषा अधिनियम, 1963 के उपबंधों के कार्यान्वयन तथा संघ की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए वार्षिक कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा मंत्रालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की प्रत्येक तिमाही बैठक में की जाती है।

(ख) यद्यपि मंत्रालय में हिन्दी में सम्पूर्ण/पत्राचार संबंधी फाइलें अधिक नहीं हैं तथापि अधिक से अधिक सरकारी काम हिन्दी में करने के लिए सतत प्रयास किए जाते हैं।

(ग) मंत्रालय में तीन कम्प्यूटर और एक टेलेक्स मशीन अंग्रेजी में हैं। मंत्रालय में टेलीप्रिन्टर अथवा अन्य ऐसी मशीनें नहीं हैं।

शहरी विकास मंत्रालय में राजभाषा अधिनियम के उपबन्धों का कार्यान्वयन

453. श्री रामचन्द्र विकल : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह पता लगाने के लिए कोई प्रयास किया गया है कि राजभाषा अधिनियम के उपबंधों और हिन्दी के प्रगामी प्रयोग के वार्षिक कार्यक्रम का शत प्रतिशत कार्यान्वयन अभी तक क्यों नहीं किया गया है ;